न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 91/2017

धुवसिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति मेघवाल साकिन कालीबंगा तहसील पीलीबंगा उम्र 7 वर्ष नाबालिग हाल निवासी साकिन रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जरिये वादमित्र व संरक्षक एंव कुदरतीवली नाना रमेशकुमार पुत्र किशनाराम जाति मेघवाल साकिन रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

प्रार्थी

बनाम

1. शान्तिदेवी पत्नि साहबराम
2. कौशल्या पत्नि स्वः पृथ्वीराज
3. महावीर
4. रेवन्तराम
5. बलवीर

(3 से 5) पि. पृथ्वीराज

(1 से 5) जाति मेघवाल साकिन कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान

6. कलावती पत्नि मनफूल पुत्री साहबराम जाति मेघवाल साकिंन चक 45 एन डी आर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
7. पार्वती पत्नि रामचन्द्र पुत्री साहबराम जाति मेघवाल साकिन चक 82 आर बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगागनर राजस्थान ।
8. गुड्डी पत्नि पूर्णराम पुत्री साहबराम जाति मेघवाल साकिन राजपुरा पिपेरन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगागनर राजस्थान ।
9. आर एम जी बी शाखा पण्डितांवाली जरिये शाखा प्रबन्धक आर एम जी बी शाखा पण्डितांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
10. एस बी आई शाखा पीलीबंगा जरिये शाखा प्रबन्धक एस बी आई शाखा पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

....अप्रार्थीगण ....

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जसपाल सिंह दहिया — प्रार्थी
2. श्री अशोक गुडेसर — अप्रार्थी सं. 1 ता 4 व 8
3. राजस्थान सरकार जरिये त[illegible] — अप्रार्थी 11

–:: निर्णय :–

[illegible] दिनांक 14/05/25

अधिवक्ता प्रार्थी श्री जसपाल [illegible] से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है [illegible] तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] प्रार्थी/वादी का उक्त अनवान का दावा श्री मान जी के [illegible]ालय में पेश हो चुका है [illegible] प्रार्थी को कामयाबी की पूर्ण आशा है। यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी न. 1 ता 8 एक ही हिन्दू खान दान के सदस्य हैं। प्रार्थी की अप्रार्थी न. 1 पड़दादी व अप्रार्थी न. 2 दादी व अप्रार्थी न. 3 व 4 प्रार्थी के ताउ व अप्रार्थी न. 5 प्रार्थी का पिता है व अप्रार्थी न. 6, 7, 8 प्रार्थी के पिता की भूआ है। जिन पर हिन्दू विधि लागू होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.02 15:52:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 2 पी बी एन की की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से चालू का खाता सं. 65/30 का प. न. 61/329 मु.न. 8 कि.न. 1/1/.177, 10/.253, की 0.430 है. व प.न. 61/330 मु.न. 10 कि.न. 21/2/.228, 22 ता 25 की 1.240 है. इस प्रकार कुल 1.670 है. नहरी कमाण्ड कृषि भूमि में से प्रार्थी की पड़दादी अप्रार्थी न. 1 शान्तिदेवी, प्रार्थी की दादी अप्रार्थी न. 2 कोश्लया व प्रार्थी के ताउ अप्रार्थी न. 3 महावीर व अप्रार्थी न. 4 रेवन्ताराम व प्रार्थी का पिता अप्रार्थी न. 5 बलवीर के नाम ब. हिस्सा बराबर बराबर दर्ज राजस्व खातेदारी है। अवलोक नार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है। यह कि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 42 एन डी आर की की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से चालू का खाता सं. 62/28 का प. न. 72/340 मु.न. 12 कि.न. 21 ता 24, 25/.228(.025खाला), की 1.265 है. व प.न. 72/341 मु.न. 16 कि.न. 1 ता 4, 5/228(.025खाला), 6/228 (.025खाला), 7 ता 10 की 2.530 है. इस प्रकार कुल 3.795 है. कमाण्ड मय गै. मु. खाला कृषि भूमि में से प्रार्थी की पड़दादी अप्रार्थी न. 1 शान्तिदेवी व प्रार्थी की दादी अप्रार्थी न. 2 कोश्लया व प्रार्थी के ताउ अप्रार्थी न. 3 महावीर व अप्रार्थी न. 4 रेवन्ताराम व प्रार्थी का पिता अप्रार्थी न. 5 बलवीर के नाम ब. हिस्सा बराबर बराबर दर्ज राजस्व खातेदारी है। अवलोक नार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है ।

यह कि वाके तहसील हनुमानगढ़ का चक 30 एम एम के की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से चालू का खाता सं. 75/75 प.न. 68/205 मु.न. 71 कि.न. 1 ता 10 की कुल 2.530 है. नहरी मय गै. मु. खाला खातेदारी कृषि भूमि में से अप्रार्थी न. 1 के नाम 6/25 हिस्सा व अप्रार्थी न. 2 ता 5 के नाम 4/25 हिस्सा ब. हिस्सा बराबर व अप्रार्थी न. 6 ता 8 के नाम 3/5 हिस्सा ब. हिस्सा बराबर बराबर संयुक्त खाता की दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है अवलाकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है ।

यह कि वाके तहसील हनुमानगढ़ का चक 29 एम एम के की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से चालू का खाता सं. 43/42 प.न. 74/213 मु.न. 47 कि.न. 1, 10 ता 12, 19 ता 22, की कुल 2.024 है. नहरी मय गै. मु. खाला व प.न. 73/213 मु.न. 48 कि.न. 5, 6, 15, 16, 24, 25 की 1.518 है. इस प्रकार कुल 3.542 है. नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि में से अप्रार्थी न. 1 शान्तिदेवी के नाम 0.283 है. व अप्रार्थी न. 6 ता 8 के नाम 0.709 है. ब. हिस्सा बराबर व अप्रार्थी न. 2 ता 5 के नाम 0.179 है. ब. हिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलाकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी न. 1 ता 8 का सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है। यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि जो प्रार्थना पत्र की दफा 3 ता 6 में वर्णित है जो मुझ प्रार्थी के पड़दादा साहबराम के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी जो मुझ प्रार्थी के पड़दादा साहबराम की मृत्यू पश्चात मुझ प्रार्थी की पड़ दादी व प्रार्थी का दादा स्वः पृथ्वीराम व मुझ प्रार्थी के उक्त दादा की बहनो कलावती, पार्वतीदेवी, गुड्डीदेवी को ब. हिस्सा बराबर बराबर विरास्तन प्राप्त हुई जिसमें से मुझ प्रार्थी के पिता बलवीरसिंह की उक्त भुआ कलावती, पार्वतीदेवी व गुड्डीदेवी ने प्रार्थना पत्र की दफा 3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि में से अपना अपना तमाम हक व हिस्सा को उक्त शान्तिदेवी पत्नि स्वः साहबराम, व कोश्लया पत्नि स्वः पृथ्वीराज व महावीर, रेवन्ताराम व बलवीर पि. पृथ्वीराज के पक्ष में ब. हिस्सा बराबर बराबर अपना अपना हक व हिस्सा त्याग दिया था जिससे उक्त अनुसार उक्त अप्रार्थी न. 1 ता 5 के नाम उक्त कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हुई है। जिससे मुझ प्रार्थी के पिता यानि अप्रार्थी न. 5 बलवीर को प्रार्थना पत्र की दफा 3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि में से 1/5 [illegible] है जो उक्त अनुसार व मुताबिक हिन्दू विधि मुझ प्रार्थी के पिता बलवीर व [illegible] पिता व दादा से विरास्तन प्राप्त होने से मुझ प्रार्थी व प्रार्थी का पिता [illegible] जिसमें से प्रार्थी का प्रार्थी का पिता बलवीरसिंह यानि प्रार्थी व अप्रार्थी न. 5 [illegible] बराबर बराबर का हक व हिस्सा बनता है। जिसका मालिक व खातेदार होने की घोषणा पाने का प्रार्थी हकदार है। प्रार्थी अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का खाता [illegible]र्थीगण के साथ सान्झा रखना नहीं चाहता है इस लिये प्रार्थी के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का कृषि भूमि अच्छी मन्दी व रास्ता खाला की सुविधा के साथ खाता विभाजन किया जाकर प्रार्थी का खाता अलग दर्ज कर रकम राज अलग कायम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.02 15:52:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि वाके तहसील हनुमानगढ़ का चक 30 एम एम के की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से चालू का खाता सं. 75/75 प.न. 68/205 मु.न. 71 कि.न. 1 ता 10 की कुल 2.530 है. नहरी मय गै. मु. खाला खातेदारी कृषि भूमि में से अप्रार्थी न. 2 ता 5 के नाम दर्ज 4/25 हिस्सा ब. हिस्सा बराबर में से अप्रार्थी न. 5 बलवीर का 1/4 हिस्सा की कृषि भूमि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है जो मुताबिक हिन्दू विधि मुझ प्रार्थी के पिता बलवीर को उसके पिता व दादा से विरास्तन प्राप्त होने से मुझ प्रार्थी व प्रार्थी का पिता अप्रार्थी न. 5 की पैतृक कृषि भूमि है। जिसमें से प्रार्थी का पिता बलवीरसिंह यानि प्रार्थी व अप्रार्थी न. 5 का ब. हिस्सा बराबर बराबर का हक व हिस्सा बनता है। जिसका मालिक व खातेदार होने की घोषणा पाने का प्रार्थी हकदार है जो की जावे । व प्रार्थी व अप्रार्थी न. 5 को ब. हिस्सा बराबर बराबर के मालिक व खातेदार होने की घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

यह कि वाके तहसील हनुमानगढ़ का चक 29 एम एम के की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से चालू का खाता सं. 43/42 प.न. 74/213 मु.न. 47 कि.न. 1, 10 ता 12, 19 ता 22, की कुल 2.024 है. नहरी मय गै. मु. खाला व प.न. 73/213 मु.न. 48 कि.न. 5, 6, 15, 16, 24, 25 की 1.518 है. इस प्रकार कुल 3.542 है. नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि में से अप्रार्थी न. 2 ता 5 के नाम 0.179 है. ब. हिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी में से 1/4 हिस्सा अप्रार्थी न. 5 बलवीर के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जो अप्रार्थी न. 5 को प्रार्थी का पड़दादा स्वर्गीय साहबराम व प्रार्थी का दादा स्वः पृथ्वीराज पुत्र स्वः साहबराम से मुताबिक हिन्दू विधि विरास्तन प्राप्त हुई है। जो प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है। जिसमें से प्रार्थी का पिता बलवीरसिंह यानि प्रार्थी व अप्रार्थी न. 5 का ब. हिस्सा बराबर बराबर का हक व हिस्सा बनता है। जिसका मालिक व खातेदार होने की घोषणा पाने का प्रार्थी हकदार है जो की जावे। व प्रार्थी व अप्रार्थी न. 5 को ब. हिस्सा बराबर बराबर के मालिक व खातेदार होने की घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यह कि प्रार्थी की उम्र 7 वर्ष है जो कि नाबालिग है। व प्रार्थी की माता सरोज की मृत्यू हो चुकी है। प्रार्थी का पिता यानि अप्रार्थी न. 5 प्रार्थी की देख भाल व पालन पोषण नहीं कर रहा है। वा ना ही प्रार्थी का पिता प्रार्थी के पालन पोषण का कोई खर्च वहन करता है। बल्कि प्रार्थी का पिता अप्रार्थी न. 5 बलवीर प्रार्थी की उक्त पैतृक कृषि भूमि को अप्रार्थीगण के साथ मिली भगत से रहन बैय वा अन्य तरीका से अन्तरण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जरिये संरक्षक व वादमित्र व बतौर कुदरती वली उक्त नाना के जरिये पेश है। प्रार्थना पत्र की दफा 3 ता 11 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें से प्रार्थी का उक्त अनुसार बतौर पैतृक कृषि भूमि के जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है जिसकी घोषणा पाने का प्रार्थी मुताबिक हिन्दू विधि पाने का हकदार है। व प्रार्थी उक्त अनुसार अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में खाता व रकम राज भी अलग कायम करवाने का कानूनन हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर डिक्री किया जावे ।

यह कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की दफा 2 व 6 में वर्णित अनुसार अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर काब्ज काश्त चला आ रहा हैं। जबकि अप्रार्थी न. 1 ता 8 प्रार्थी से व्यक्तिगत रंजिश रखते हैं। जो लालचवंस प्रार्थी की नाबालिग अवस्था का नाजायज लाभ उठाने पर आमादा हैं। जिन्होने प्रार्थी की उक्त खातेदारी कृषि भूमि को नाजायज रूप से जबरन रहन, बैय व अन्य तरीका से अन्तरण करने की प्रार्थी को धमकी दी है। जबकि अप्रार्थीगण को मुझ प्रार्थी के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का अच्छी भन्दी व रास्ता खाला की सुविधा के साथ प्रार्थी का खाता विभाजन करवाने से पहले प्रार्थना पत्र की दफा 3 ता 5 में वर्णित उक्त कृषि भूमि को रहन बैय वा अन्य तरीका से अन्तरण करने के कानूनन हकदार [illegible] अप्रार्थीगण को प्रार्थी के कब्जा काश्त की उक्त खातेदारी कृषि भूमि में किसी भी प्रकार से [illegible] अन्दाजी करने का व रहन, बैय व अन्य तरीका से अन्तरण करने का हक नहीं है [illegible] अपने गल्त मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी [illegible] पूर्ति किसी हर्जाना से नहीं हो सकेगी। जिससे प्रार्थी अप्रार्थी के खिलाफ ता फैसला दा[illegible] अस्थाई निशेधाझा पाने का हकदार है कि अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य तरीका से अन्तरण नहीं करें व रिकार्ड व मौका की यथा स्थिति बनाये रखें। जबकि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.02 15:52:17 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निशेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण ता फैसला दावा वाके तहसील पीलीबंगा के चक 2 पी बी एन की की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से चालू का खाता सं. 65/30 का प. न. 61/329 मु.न. 8 कि.न. 1/1/.177, 10/.253, की 0.430 है. व प.न. 61/330 मु.न. 10 कि.न. 21/2/.228, 22 ता 25 की 1.240 है. इस प्रकार कुल 1.670 है. नहरी कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि को व तहसील पीलीबंगा के चक 42 एन डी आर की की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से चालू का खाता सं. 62/28 का प. न. 72/340 मु.न. 12 कि.न. 21 ता 24, 25/.228 (व25खाला), की 1.265 है. व प.न. 72/341 मु.न. 16 कि.न. 1 ता 4, 5/228(.025 खाला), 6/228 (.025 खाला), 7 ता 10 की 2.530 है. इस प्रकार कुल 3.795 है. कमाण्ड मय गै. मु. खाला खातेदारी कृषि भूमि को व तहसील हनुमानगढ़ का चक 30 एम एम के की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से चालू का खाता सं. 75/75 प.न. 68/205 मु.न. 71 कि.न. 1 ता 10 की कुल 2.530 है. नहरी मय गै. मु. खाला खातेदारी कृषि भूमि में से अप्रार्थी न. 1 ता 8 के नाम दर्ज कृषि भूमि को व वाके तहसील हनुमानगढ़ का चक 29 एम एम के की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से चालू का खाता सं. 43/42 प.न. 74/213 मु.न. 47 कि.न. 1, 10 ता 12, 19 ता 22, की कुल 2. 024 है. नहरी मय गै. मु. खाला व प.न. 73/213 मु.न. 48 कि.न. 5, 6, 15, 16, 24, 25 की 1.518 है. इस प्रकार कुल 3.542 है. नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि में से अप्रार्थी न. 1 ता 8 के नाम दर्ज कृषि भूमि को अप्रार्थीगण रहन बैय व अन्य तरीका से अन्तरण नहीं करें व रिकार्ड व मौका की यथा स्थिति बनाये रखें श्री मान जी की कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षिय बहस सुनी जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 व 8 की ओर से श्री अशोक कुमार गुडेसर अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है जो कि शामिल वाद है। अप्रार्थी संख्या 5,6,7 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही जारी शुद्धा है अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से श्री करणी सिंह शेखावत व 10 अप्रार्थी संख्या 10 की ओर से श्री दारा सिंह अधिवक्ता हाजिर है।

पत्रावली में स्टेट जवाब प्राप्त किया जा चुका है। मुताबिक जवाब सरकार अनुसार रास्ता, खाला की सुविधा पैतृक भूमि के अलावा अन्य भूमि हो तो नियमानुसार राज्यहित को ध्यान में रखते हुए पत्रावली का निस्तारण किया जाता है तो स्टेट को कोई आपित्त नहीं है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि प्रश्नगत रकबा पैत्रक संम्पति है अप्रार्थी संख्या 5 जो कि प्रार्थी का पिता है एक पक्षिय कार्यवाही हो चुकि है अस्थाई निषेधाज्ञा ता दावा फैसला अनवृत की जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि प्रार्थी ने समस्त कृषि भूमि पर अस्थाई निषेधज्ञा ले रखी है बलवीर के हिस्से तक स्टे कंम्फर्म किया जाता है तो आपत्ति नहीं है। बहस पर मनन किया गया। उभ्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टांतो को ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण इस लिए स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि प्रार्थीया परिवार का सहदायिकी सदस्य है। प्रश्नगत रकबा में हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा रही है। प्रार्थी का अनुतोष अपने पिता यानि कि अप्रार्थी संख्या 5 के हक्क व हिस्सा में निहित है इस लिए तहसील पीलीबंगा के चक 2 पी बी एन की की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से चालू का खाता सं. 65/30 का प. न. 61/329 मु.न. 8 कि.न. 1/1/.177, 10/.253, की 0.430 है. व प.न. 61/330 मु. न. 10 कि.न. 21/2/.228, 22 ता 25 की 1.240 है. इस प्रकार कुल 1.670 है. नहरी कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि को व तहसील पीलीबंगा के चक 42 एन डी आर की की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से चालू का खाता सं. 62/28 का प. न. 72/340 मु.न. 12 कि.न. 21 ता 24, 25/.228 (.025 खाला), की 1.265 है. व प.न. 72/341 मु.न. 16 कि.न. 1 ता 4, 5/228(.025 खाला), 6/228 (.025 खाला), 7 ता 10 की 2.530 है. इस प्रकार कुल 3.795 है. कमाण्ड मय गै. मु. खाला खातेदारी कृषि भूमि को व तहसील हनुमानगढ़ का चक 30 एम एम के की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से चालू का खाता सं. 75/75 प.न. 68/205 मु.न. 71 कि.न. 1 ता 10 की कुल 2.530 है. नहरी मय गै. मु. खाला खातेदारी कृषि भूमि में से अप्रार्थी न. 1 ता 8 के नाम दर्ज कृषि भूमि को व वाके तहसील हनुमानगढ़ का चक 29 एम

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.02 15:32:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

एम के की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से चालू का खाता सं. 43/42 प.न. 74/213 मु. न. 47 कि.न. 1, 10 ता 12, 19 ता 22, की कुल 2.024 है. नहरी मय गै. मु. खाला व प.न. 73/213 मु.न. 48 कि.न. 5, 6, 15, 16, 24, 25 की 1.518 है. इस प्रकार कुल 3.542 है. में अप्रार्थी संख्या 5 के हक हिस्सा तक स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 07.12.2017 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 14/05/25 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

(न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ — सत्यमेव जयते)

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.02 15:52:17 IST
Reason: SelfAttested